उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-613/ग्यारह–7(103)/91–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(113)–2014

लखनऊ, दिनांक: 12 जून, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि दिनांक 13 जून, 2014 से स्तम्भ–2 में उल्लिखित वस्तुओं की उनके सम्मुख अंकित सम्पूर्ण राज्य के लिये नीचे अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित वार्षिक संख्या की सीमा तक उत्तर प्रदेश राज्य में उनके विक्रय हेतु कैंटीन स्टोर्स विभाग/मिलिट्री कैंटीन को विक्रय अथवा उसके द्वारा क्रय और विक्रय के आवर्त पर उक्त अधिनियम के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन कोई कर संदेय नहीं होगा:–

अनुसूची

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	सम्पूर्ण राज्य के लिये वार्षिक संख्या
1	2	3
01	सभी प्रकार के टेलीविजन	6900
02	रेफ्रीजरेटर्स	4200
03	एअर कन्डीशनर्स	2100
04	वाशिंग मशीन	2400
05	माइक्रोवेव ओवन	1200

शर्तें

(एक) कमान्डिग आफिसर की श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो कि माल उत्तर प्रदेश राज्य में तैनात या निवास कर रहे भारतीय सशस्त्र बल/अन्य रक्षा अधिष्ठान के सदस्यों/भूतपूर्व सैनिकों को विक्रय के लिये तात्पर्यित है ;

(दो) किसी सेवारत या भूतपूर्व सैन्यकर्मी को ऊपर लिखित वस्तुओं की खरीद की सुविधा तीन वर्ष में केवल एक बार अनुमन्य होगी।

आज्ञा से,

(एस0 एन0 प्रसाद)

सचिव।